जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

26 मार्च, 2025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एक अनुबंधित संकाय सदस्य को बर्खास्त किया

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आज राजनीति विज्ञान विभाग के एक सहायक प्रोफेसर (अनुबंधित) को तब बर्खास्त कर दिया, जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई।

प्रशासन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए विश्वविद्यालय से उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं और कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता (ज़ीरो टॉलरेंस) की नीति का पालन करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि वह स्थायी संकाय सदस्य नहीं है, बल्कि केवल एक अनुबंधित कर्मचारी है जिसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यौन हमले की घटना विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हुई थी और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत एवं निजी मामला है। अतः जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इस कथित घटना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह विश्वविद्यालय परिसर में नहीं घटित हुई। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस गंभीर अपराध की कड़ी निंदा करते हुए उसको बर्खास्त कर दिया और कहा कि महिलाओं के सम्मान, गरिमा और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का हमला जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय को पूरा विश्वास है कि न्याय होगा, क्योंकि क़ानून अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करेगा।

इसके साथ ही, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकर) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के तहत विधिवत गठित आंतरिक शिकायत समिति मौजूद है। इसके अलावा, इस समिति की जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित की जाती है ताकि विश्वविद्यालय के सभी संबंधित पक्षों के लिए इसे सुलभ बनाया जा सके। अधिनियम में निहित सभी नैतिक दिशानिर्देशों का विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण रूप से और पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, विभागों और केंद्रों द्वारा समय-समय पर जेंडर संवेदनशीलता पर कार्यशालाएँ और व्याख्यान सक्रिय रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों को महिलाओं के यौन उत्पीड़न और POSH अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। जामिया मिल्लिया इस्लामिया महिलाओं की गरिमा की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया